



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102022-239684
CG-DL-E-15102022-239684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944

No. 518]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

फा. सं. 18-36/14038-आईएनसी.—भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित आदेश जारी करती है:-

जबकि, लाइफ केयर नर्सिंग स्कूल, सिकटिया, गोड्डा-814133, झारखंड, एएनएम कोर्स चलाने के लिए झारखंड राज्य सरकार और झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त है।

वहीं, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डूरंड, रांची – 834002 झारखंड को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए एक नोटिस सं. 18-36/14038-आईएनसी/13321 दिनांक 10/03/2021 जारी किया गया था। नोटिस दिनांक 10/03/2021 की एक प्रति लाइफ केयर नर्सिंग स्कूल, सिकटिया, गोड्डा – 814133, झारखंड भी भेजी गई थी। जारी नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

जबकि, परिषद् को लाइफ केयर नर्सिंग स्कूल के मामले के संबंध में राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई। यहाँ तक कि संस्थान लाइफ केयर नर्सिंग स्कूल ने जारी किये गए नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर समग्र विचार किया है। दिनांक 06/10/2020 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई तरह की कमियाँ हैं, विशेष रूप से नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित कमियाँ। ये गंभीर कमियाँ बताती हैं कि संस्थान एएनएम कोर्स चलाने में असमर्थ है।

अब इसलिए, धारा 14(3)(बी) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि 25/06/2022 से आगे लाइफ केयर नर्सिंग स्कूल, सिकटिया, गोड्डा-814133, झारखंड से एएनएम की योग्यता प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति केवल झारखण्ड राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल झारखण्ड राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

ले. कर्नल(डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./340/2022-23]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 14th October, 2022

F. No. 18-36/14038-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Life Care Nursing School** situated at **Siktiya, Godda – 814133, Jharkhand** is recognized by State Government of Jharkhand and Jharkhand Nurses Registration Council to conduct ANM Course.

Whereas, a notice no. 18-36/14038-INC/13321 dated 10/03/2021 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Chief Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Jharkhand, Nepal House, Doranda, Ranchi – 834002, Jharkhand was issued. Copy of the notice dated 10/03/2021 was also enclosed to **Life Care Nursing School** situated at **Siktiya, Godda – 814133, Jharkhand**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Life Care Nursing School**. Even the institution **Life Care Nursing School** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 06/10/2020 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run ANM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 25/06/2022 any person holding a recognized qualification of ANM from **Life Care Nursing School** situated at **Siktiya, Godda – 814133, Jharkhand** shall be entitled to be registered only in the State of **Jharkhand** subject to orders of the **State government of Jharkhand**.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./340/2022-23]